भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2734
उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025
26 फाल्गुन, 1946 (शक)

झारखंड में खेल सुविधाएं

†2734. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरिस 2024 में आयोजित पिछले ओलंपिक में निराशाजनक रूप से 71वें स्थान पर रहने के बाद सरकार द्वारा खेल प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए कोई पहल की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2022 को रिट याचिका (सी) 195/2010, सूचकांक क्रम संख्या 3.13 अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 में दिए गए निर्णय के बाद कोई पहल की है, जो भारतीय ओलंपिक संघ और प्रत्येक घटक राष्ट्रीय खेल परिसंघ / संघ पर लागू होनी चाहिए, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झारखंड में 2023 में खोले गए सभी 24 खेलो इंडिया केन्द्रों को आज की तिथि तक स्पोर्ट्स किट (ड्रेस और प्लेइंग किट) प्रदान कर दी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या झारखंड में खेल सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन के बाद, पूर्व प्रतिष्ठित खिलाड़ियों, खेल प्रशासकों से युक्त मिशन ओलंपिक सेल ने पेरिस ओलंपिक से मिली सीख पर चर्चा की और विचार-विमर्श से निम्नलिखित प्रमुख बिंदु उभर कर सामने आए:

- एनएसएफ द्वारा एथलीटों की स्पष्ट चयन नीति और प्रशिक्षण योजना।
- मजबूत घरेलू प्रतिस्पर्धा संरचना के माध्यम से प्रतिभा की पहचान।

- खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए खेल विज्ञान का एकीकरण।
- कोचों और तकनीकी अधिकारियों का विकास और उनकी दक्षताओं में सुधार करना।

ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए तैयारी एक सतत प्रक्रिया है। ओलंपिक, एशियाई खेल आदि जैसे मेगा-स्पोर्ट्स स्पर्धाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों/टीमों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धी एक्सपोजर, कोच और विदेशी कोचों सहित सहायक कर्मियों से संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) की योजनाओं/प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण और प्रतियोगिता (एसीटीसी) बैठकों के लिए वार्षिक कैलेंडर में अंतिम रूप दिया जाता है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय विभिन्न स्कीमों के माध्यम से भारतीय खिलाड़ियों/टीमों को सहायता प्रदान करता है, जैसे कि राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता स्कीम और टीओपीएस। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) सहित राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ओलंपिक सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के लिए टीमों और खिलाड़ियों की तैयारी के लिए सर्वोत्तम सुविधाएँ, प्रशिक्षण, उपकरण सहायता और पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए निकट समन्वय में काम करते हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने समग्र खेल पारिस्थितिकी तंत्र में खेल विज्ञान को बेहतर ढंग से एकीकृत करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर) की भी स्थापना की है।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राहुल मेहरा और भारत संघ के मामले में दिनांक 16.08.2022 को पारित निर्णय और श्री नागेश्वर राव द्वारा तैयार भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) का संविधान एसएलपी संख्या 14533/2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसका शीर्षक है "भारतीय ओलंपिक संघ बनाम भारत संघ और अन्य।" इसने एनएसएफ के लिए अनुपालन और प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा की हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इन कार्यवाहियों में एक पक्ष है।

एक व्यापक और संरचित दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानते हुए, मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 का मसौदा तैयार किया है। इस कानून का उद्देश्य शासन संबंधी चुनौतियों का समाधान करना, नैतिक आचरण को सुनिश्चित करना, खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करना और सभी स्तरों पर निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देना है। खेल प्रशासन के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करके, विधेयक एक पारदर्शी और जवाबदेह ढांचा बनाने का प्रयास करता है।

(ग) जी हां, खेलो इंडिया स्कीम के तहत खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) को खेल किट उपलब्ध कराए जाते हैं।

खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार, खेल मैदान की तैयारी/उन्नयन, खेल उपकरणों की खरीद, सीसीटीवी सेट-अप आदि के लिए प्रति खेल 5 लाख रुपये एकमुश्त गैर-आवर्ती अनुदान के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, कोच/पूर्व चैंपियन एथलीट, सहयोगी स्टाफ, खेल उपकरण, खेल किट, उपभोग्य सामग्रियों की खरीद, प्रतियोगिता/कार्यक्रम में भागीदारी आदि के लिए पारिश्रमिक के रूप में प्रति खेल 5 लाख रुपये का वार्षिक आवर्ती अनुदान प्रदान किया जाता है। प्रति पूर्व चैंपियन एथलीट को अधिकतम पारिश्रमिक 3 लाख रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा।

यह धनराशि भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित/जारी की जाती है तथा इसका उपयोग और निगरानी एसएआई के क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से की जाती है।

(घ) और (ङ) : वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****